

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 02/स्था० (एम०ए०सी०पी०) 06-03/16-

राँची, दिनांक :

-: शुद्धि पत्र :-

विभागीय अधिसूचना सं.-1648 दिनांक 29.03.2017 एवं अधिसूचना सं.-1649 दिनांक 29.03.2017 द्वारा अभियंत्रण सेवा के कर्मियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन/संशोधित वृत्ति उन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ की स्वीकृति प्रदान की गयी है। निम्नांकित अधिसूचना के क्रमांक के सम्मुख विभिन्न स्तम्भों में अंकित यथा नाम, आई०डी० पद सोपान के विरुद्ध ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० लाभ की देय तिथि में निम्न रूप से संशोधित दिया जाता है।

क्रमांक	अधिसूचना सं० एवं दिनांक	नाम/आई० डी०	संशोधन
1	2	3	4
1.	1648 दिनांक-29.03.17	श्री सुभाष प्रसाद सिन्हा/ J 7131	क्रमांक 45 के कॉलम 7 में दिनांक-21.03.10 के स्थान पर दिनांक 21.03.09 पढ़ा जाय।
2.	1648 दिनांक-29.03.17	श्री विमल कुमार झा/ 3862	क्रमांक 88 के कॉलम 5 में दिनांक-18.07.09 के स्थान पर दिनांक 02.12.08 पढ़ा जाय।
3.	1649 दिनांक-29.03.17	श्री चंदेश्वर राय/ 2172	क्रमांक 31 के कॉलम 4 में दिनांक-09.08.99 के स्थान पर दिनांक 30.01.03 पढ़ा जाय।

2. शेष कंडिका यथावत् रहेंगी।

विश्वासभाजन,

ह०/---

(विश्वनाथ प्रसाद तांती)

सरकार के अवर सचिव (प्र०)।

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को अधिसूचना की तीन मूल प्रतियों के साथ गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट में प्रकाशनोपरांत प्रकाशित गजट की 200 (दो सौ) प्रतियाँ विभाग को अभिलेख हेतु भेजने की कृपा की जाय।

ह०/-

(विश्वनाथ प्रसाद तांती)

सरकार के अवर सचिव (प्र०)।

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची/उप सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अभिलेख से योगदान की तिथि एवं सेवा में टूट संबंधी आवश्यक जाँच कर वेतन पुर्जा निर्गत किया जाय।

ह०/-

(विश्वनाथ प्रसाद तांती)

सरकार के अवर सचिव (प्र०)।

ज्ञापांक :-

4291

राँची, दिनांक :-

10-10-12

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड राँची/सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड राँची/सचिव,

मानव संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, मंत्रिमंडल समन्वय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, राँची/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव(प्रबंधन कोषांग सहित)/ सभी संबंधित मुख्य अभियंता/ सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता/ सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता/ सभी संबंधित अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/प्रशाखा पदाधिकारी-01, 02/वेब इन्फार्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Bhushan
9.10.17

(विश्वनाथ प्रसाद तांती)
सरकार के अवर सचिव (प्र०)।